<u>न्यायालय प्रभारी अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०–4, गाजियाबाद।</u>

उपस्थित: मनीष निगम, उच्चतर न्यायिक सेवा,

J.O. Code No–01636

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1091/2026,

कम्प्यूटर रजिस्ट्रेशन नं०–3211/2026,

विशाल पुत्र महेन्द्र कुमार, निवासी इस्लामनगर चौराहा, केनरा बैंक के सामने, थाना बहजोई, जनपद सम्भल, उ०प्र०। .....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उ०प्र०राज्य .....अभियोजन।

मु०अ०सं०–255/2026,

धारा–318(4), 303(2), 317(2), 345(3), 61(2) बी०एन०एस०,

थाना–विजयनगर, गाजियाबाद।

<u>दिनांक 25–06–2026</u>

प्रार्थी/अभियुक्त **विशाल** की ओर से यह जमानत प्रार्थना–पत्र उपरोक्त प्रकरण मे स्वंय को जमानत पर रिहा किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त दिनांक 23–05–2026 से जिला कारागार मे निरूद्ध है।

जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में पैरोकार पिता महेन्द्र कुमार द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। इसके अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय या अन्य किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा विनीत गुप्ता की ओर से थाना विजयनगर गाजियाबाद पर इस आशय की तहरीर प्रस्तुत की गयी कि–प्रार्थी विनीत गुप्ता पुत्र राकेश गुप्ता निवासी V–136/2 गली नं0–2 अरविन्द नगर घोण्डा दिल्ली 110053 का रहने वाला हूँ। मै Caratlane A Tata Product Ltd कम्पनी में Jewellery consultant पद पर कार्यरत हूँ। मै कम्पनी के आये आर्डर को दिखा कर बेचने का कार्य करता हूँ। आज दिनांक 16.05.2026 को कम्पनी ने मकान नं0–14 सिद्धार्थ विहार थाना विजयनगर गाजियाबाद Jewellry दिखाने के लिए भेजा था। मै कम्पनी के द्वारा दिये गये पते पर समय लगभग 4.15 दोपहर बजे पहुँचा तो उक्त पते पर 3 से 4 लडके मिले। जिन्होने धाखे से बुला कर मेरी लगभग 22 लाख रूपये की Jewellery लेकर चले गये। निवेदन है कि Report लिखकर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे। जब मैने अपना बैग खोलकर देखा तो मेरा i–pad और मोबाईल फोन भी साथ ले गये। जिनकी रसीद बाद में उपलब्ध करवा दूँगा। उक्त के आधार पर थाना हाजा पर मुकदमा पंजीकृत किया गया।

जमानत प्रार्थना–पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री आदिल एडवोकेट एवं अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना एवं समस्त अभिलेखो का अवलोकन किया।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है तथा उसे उपरोक्त केस में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त का उपरोक्त केस से कोई वास्ता ताल्लुक किसी प्रकार का नही है। उपरोक्त केस में प्रथम सूचना रिपोर्ट देरी से दिखायी गयी है। अभियुक्त द्वारा न तो कोई ज्वैलरी किसी से ली गयी है, न ही फोन लिया गया है और न ही अभियुक्त द्वारा कोई कथित अपराध कारित किया गया है। थाना हाजा की पुलिस उनके घर पूछताछ के बहाने उठाकर ले गयी और थाने पर ले जाकर जबरन अवैध धनराशि की मांग की। अभियुक्त ने विरोध किया तो पुलिस ने अभियुक्त को उक्त मुकदमे झूंठा फंसाकर जेल भेज दिया। घटनास्थल भीड भाड वाला स्थान है जिसमे कोई स्वतन्त्र गवाह नही है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 23.05.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अतः उसे जमानत पर रिहा किया जाए।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कहा गया है कि अभियुक्त द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी को धोखे से ज्वैलरी दिखाने के लिए मकान पर बुलाकर 22 लाख रूपये की ज्वैलरी व बैग से आई पेड व मोबाइल फोन भी ले गए। अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाए।

केसडायरी के अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट मे नामजद नही है और न ही अभियुक्त को मौके से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त की कोई शिनाख्त वादी से नही करायी गयी है। कथित गिरफ्तारी व बरामदगी का कोई स्वतन्त्र गवाह दर्शित नही किया गया है। मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास पेश नही किया गया है। अभियुक्त दिनांक 23–05–2026 से जिला कारागार मे निरूद्ध है।

मामले के समस्त तथ्य व परिस्थियो को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुण–दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने हेतु पर्याप्त आधार है। तदनुसार प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त **विशाल** की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा अंकन 50,000/–रूपये (पचास हजार) का व्यक्तिगत बन्ध–पत्र एवं समान धनराशि के दो विश्वसनीय प्रतिभू संबंधित मजिस्ट्रेट की सन्तुष्टि में दाखिल करने पर उक्त अपराध में जमानत पर रिहा किया जाये।

दिनांक 25–06–2026

(मनीष निगम)
प्रभारी अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०–4,
गाजियाबाद।

Digitally signed by MANISH NIGAM
Date: 2026.06.30 10:52:20 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court